

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

बनाम.....

क्रमांक.....

प्रकरण सं.....

सन् 2025

हुण्ड	हुण्ड या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुण्ड की तामील में जारी हुए
15 $\frac{1}{26}$	पत्रावली पेश हुई। निगराकार स्वयं उपास्थिता निगराकार द्वारा प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाकर निगरानी को ड्राप किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक - 16.1.26 को पेश है। <u>प्र</u>	 <b>SANWAR MAL DAHIY</b> Village Development Officer Gram Panchayat Shahpur (Shahpur)
16 $\frac{1}{26}$	पत्रावली पेश। प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक - 19/1/26 को पेश है। <u>प्र</u>	
19 $\frac{1}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपास्थिता पूर्ण ग्राम पंचायत फुलिधाकुलां की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सचिव) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम पंचायत फुलिधाकुलां द्वारा दस्तगत प्रकरण से संबंधित पृथक जारी नहीं किया गया है। अतः प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्राप करमबे।</p> <p>अतः उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नम्बर से कम है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।</p>	

 अति. जिला कलक्टर  
 शाहपुरा